F.No. 15-69/1/NMA/HBL-2021
Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Jhansi Fort at Jhansi, Jhansi U.P.", have been prepared by the Competent Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

i. National Monuments Authority **www.nma.gov.in**
ii. Archaeological Survey of India **www.asi.nic.in**
iii. Archaeological Survey of India, Jhansi Circle **www.asijhansicircle.nic.in**

2. Any person having any objections or suggestion may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID **ms-nma@nic.in** and **hbl-section@nma.gov.in** latest by 20th January 2022. The person making objections or suggestion should also give their name and address.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 20th January 2022, in consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

(N.T. Paite)
Director NMA
21st December 2021

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE

झांसी का किला, **झांसी, उत्तर प्रदेश** के लिए प्रारूप धरोहर उप-विधि

Draft Heritage Bye-Laws for **Jhansi Fort at Jhansi, Jhansi, U.P.**

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 **के नियम** (22) **के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम**, 1958 **की धारा** 20 **ङ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**, **केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक**, **झांसी का किला, झांसी, उत्तर प्रदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पाधदन)**, **नियमावली**, 2011 **के नियम** 18, **उप नियम** (2) **की अपेक्षा के अनुसार जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है**;

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपत्ति या सुझाव, **यदि कोई हो तो उसको सदस्य सचिव**, **राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय)**, 24, **तिलक मार्ग**, **नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा** hbl-section@nma.gov.in **पर ई-मेल किया जा सकता है**;

उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्ति या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप धरोहर उप–विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, **विस्तार और प्रारम्भ:-**

(i) **इन उप-विधियों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारक**, **झांसी का किला, झांसी, उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि**, 2021 **कहा जाएगा।**

(ii) **ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।**

(iii) **ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।**

1.1 परिभाषाएं:-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) **किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,**

(ii) **किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,**

(iii) **किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा**

(iv) **किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;**

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान हैं, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) **उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा**

(ii) **उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;**

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या

पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिए इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;]

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही होगा जैसा अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि(एएमएएसआर) अधिनियम, 1958

2.0 अधिनियम की पृष्ठभूमि: धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व विद्यमान था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों के लिए उप विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंड का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से

पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन या संरचना या भूमि है और वह ऐसे भवन या संरचना या जमीन पर कोई निर्माण, या पुन:निर्माण या मरम्मत या पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक झांसी का किला, झांसी उत्तर प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 संस्मारक का स्थान एवं अवस्थितिः

- यह स्थल जीपीएस निर्देशांक:उत्तरी अक्षांश 25°27'28.56", एवं पूर्वी देशांतर 78°34'32.32" पर स्थित है।
- झांसी का किला अथवा झांसी फोर्ट उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में बंगरा नामक एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक किला है।
- झांसी का किला झांसी नगर के बीच में स्थित है।
- यह झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- भारत के सभी मैट्रो नगरों से जोड़ने वाला राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल, ग्वालियर विमानपत्तन, ग्वालियर सबसे निकटस्थ विमानपत्तन है जो झांसी से 103 किमी. की दूरी पर है।

Jhansi Fort at Jhansi, Tehsil and District Jhansi, U.P.

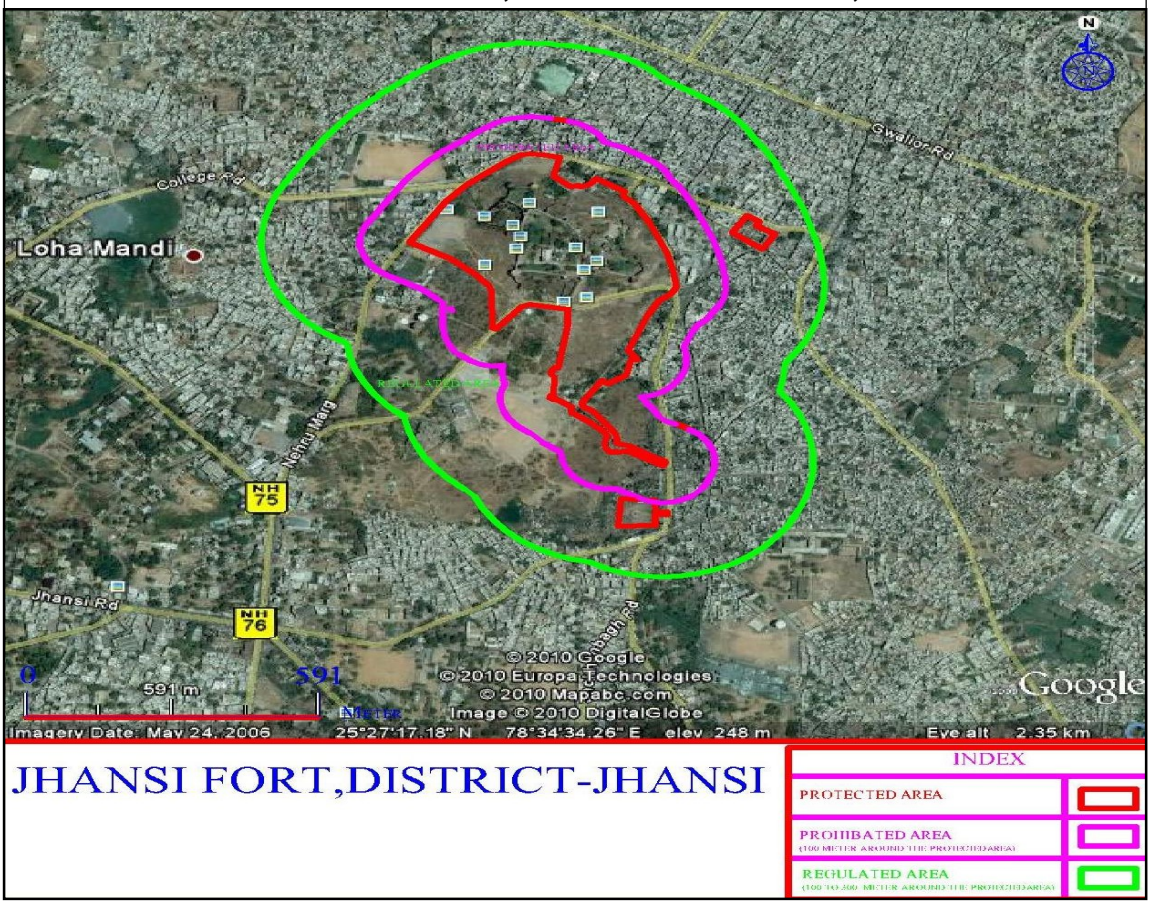

केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक झांसी स्थित झांसी का किला, झांसी, उ.प्र. का गूगल मानचित्र

3.1 संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

झांसी स्थित झांसी के किले, उत्तर प्रदेश की संरक्षित चारदीवारी अनुलग्नक-I पर देखी जा सकती है।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) के दस्तावेजों (रिकार्ड) के अनुसार अधिसूचित मानचित्र/योजना:

इसे अनुलग्नक-II पर देखा जा सकता है।

3.2 संस्मारक का इतिहास:

झांसी फोर्ट, जिसे झांसी का किला भी कहा जाता है, 17 वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह देव द्वारा उत्तर प्रदेश में बंगरा नामक एक बड़ी पहाड़ी पर बनाया गया था। 1729 में, महाराज छत्रसाल ने मोहम्मद खान बंगश को यह किला मुगल सेना को हराने में उनकी सहायता करने के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करते हुए उपहार में दिया था। 1742 में, नरोशंकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया, जिन्होंने न केवल किले का विस्तार किया बल्कि इसमें अन्य भवनों का भी निर्माण करवाया। नरोशंकर के बाद, माधव गोविंद काकिर्डे और बाबूलाल कन्हाई ने झांसी के सूबेदार के रूप में कार्य किया। विश्वास राव लक्ष्मण ने सन् 1766 से 1769 तक कार्य किया, और उसके पश्चात् रघुनाथ राव (द्वितीय) नेवालकर आए, जिन्होंने

राज्य के राजस्व में वृद्धि के अलावा महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का भी निर्माण किया। उनके शासन के पश्चात् अकुशल रघुनाथ राव (III) ने शासन किया, जिसने झांसी को एक भयानक वित्तीय आपदा में डाल दिया। झाँसी को फिर से राजा गंगाधर राव के रूप में एक योग्य प्रशासक मिला, जो अपनी उदारता के कारण स्थानीय प्रजा को संतुष्ट रखने में सफल रहा। उनकी मृत्यु के पश्चात्, उनकी पत्नी, मणिकर्णिका तांबे, ने उनके स्थान पर शासन किया जिन्हें बाद में रानी लक्ष्मी बाई के नाम से जाना गया,। अप्रैल 1858 में, ब्रिटिश सेना ने जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर कब्जा कर लिया; ब्रिटिश सरकार ने इसे ग्वालियर के महाराजा को दे दिया और 1868 में इसे वापस ले लिया।

3.3 संस्मारक का विवरण (वास्तुकलात्मक विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि):

किले में प्रवेश के लिए 10 द्वार हैं। इनमें से कुछ खांडेराव द्वार, दतिया दरवाजा, उन्नाव द्वार, झरणा द्वार, लक्ष्मी द्वार, सागर द्वार, ओरछा द्वार, सैनयार द्वार और चाँद द्वार हैं । प्रवेश द्वार पर भगवान शिव एवं भगवान गणेश का मंदिर है और सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में लाई गई कड़क बिजली तोप भी यही रखी है। संस्मारक पट्ट पर रानी लक्ष्मी बाई द्वारा घोड़े की पीठ पर बैठकर किले से कूद जाने का अति साहस अंकित है। यह किला 15 एकड़ (61,000 वर्ग मीटर) के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इस अत्यधिक विशाल संरचना की लंबाई लगभग 312 मीटर और चौड़ाई 225 मीटर है। कुल मिलाकर, दो दिशाओं में परिखा/खाई से सुरक्षित की गई विशाल सुदृढ़ दीवार के साथ बाईस स्तंभों की टेक है। पूर्वी हिस्से की ध्वस्त दीवार को अंग्रेजों ने फिर से बनवाया, जिन्होंने पंचमहल में एक-और मंजिल का भी निर्माण कराया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी की रानी ने सभी लोगों को महल के अंदर रखा था।

3.4 वर्तमान स्थिति:

3.4.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति का मूल्यांकन

संस्मारक परिरक्षण की अच्छी स्थिति में है।

3.4.2 प्रतिदिन एवं यदा-कदा आने वाले आगंतुकों की संख्या:

इस संस्मारक में प्रवेश के लिए टिकट लगती है। संस्मारक में प्रतिदिन औसतन 550 पर्यटक आते हैं। रविवार के दिन यह संख्या बढ़कर 800-1000 हो जाती है। शिवरात्री कें अवसर पर यह संख्या बढ़कर 25,000 प्रति दिन तक हो जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0 विद्यमान क्षेत्रीकरण

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम और नियमों में इस संस्मारक के लिए विशिष्ट रूप से कोई क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है।

4.1 स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशानिर्देश :

इन्हें1 अनुलग्नक-III में देखा जा सकता है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0 विद्यमान क्षेत्रीकरण

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम और नियमों में इस संस्मारक के लिए विशिष्ट रूप से कोई क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है।

4.1 स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशानिर्देश :

इन्हें अनुलग्नक-III में देखा जा सकता है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दस्तावेजों (रिकार्ड) में निर्धारित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/ टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.0 झांसी स्थित झांसी का किला, झांसी, उ.प्र. की रूपरेखा:

उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित झांसी के किले की सर्वेक्षण योजना को अनुलग्नक-IV में देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का वर्ग मीटर में विवरण और इनकी कतिपय विशेषताएं:

- संरक्षित क्षेत्र: 203496.175 वर्ग मीटर
- प्रतिषिद्ध क्षेत्र: 287079.948 वर्ग मीटर
- विनियमित क्षेत्र: 717208.1763 वर्ग मीटर

मुख्य विशेषताएं:

संस्मारक की तल स्तर से अनुमानित ऊँचाई 85 मीटर है। यह संस्मारक गहन आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। आवासीय, वाणिज्यिक भवनों बैंकों, और सांस्थानिक भवनों से संस्मारक घिरा हुआ है। संस्मारक की पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में खुला स्थान विद्यमान है।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- उत्तर - इस दिशा में व्यावसायिक और सांस्थानिक भवन जैसे कि लक्ष्मीबाई कन्या पाठशाला और गोयनका पब्लिक स्कूल विद्यमान हैं। उत्तर-पूर्व से उत्तर-पश्चिम दिशा में धार्मिक भवन जैसेकि माता का मंदिर आवासों सहित विद्यमान हैं।
- दक्षिण - इस दिशा में हनुमान मंदिर और तालाब के रूप में जल निकाय विद्यमान हैं।
- पूर्व - इस दिशा में झांसी का जिला अस्पताल, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्र विद्यमान हैं।

- पश्चिम - इस दिशा में बहुत ही कम निर्मित क्षेत्र है। इस दिशा में बापू भवन व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में विद्यामान है।

विनियमित क्षेत्र

- उत्तर - उत्तर पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशा में बाजार के साथ लगता गणेश मंदिर, अन्य कई मंदिर, अस्पताल और सांस्थानिक भवन जैसे कि लोकमान्य तिलक गर्ल्स इन्टर कॉलेज और आवास विद्यमान हैं।
- दक्षिण - दक्षिण-पश्चिम दिशा में आवास, सैनिक स्कूल, हनुमान मंदिर विद्यमान हैं।
- पूर्व - इस दिशा में आवासीय और व्यावसायिक भवन विद्यमान हैं।
- पश्चिम - इस दिशा में के.सी. राजकीय गर्ल्स इन्टर कॉलेज, नेहरू युवा केन्द्र, राजऋषि पुरुषोत्तम टंडन उच्च विद्यालय और अनेक आवास विद्यमान हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा में एल.आई.सी. भवन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, बैंक, मंदिर, क्षेत्रीय वन विभाग का कार्यालय विद्यमान हैं। जिला सहकारी बैंक और वाणिज्यिक भवन भी दक्षिण-पश्चिम दिशा में विद्यमान हैं।

5.1.3 हरित/खुले स्थानों का वर्णन

- उत्तर: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की उत्तर दिशा में कोई बहुत बड़ी खाली भूमि नहीं है।
- दक्षिण: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खाली भूमि विद्यमान है। इस दिशा के विनियमित क्षेत्र में जोखम बाग (अंग्रेजों का बाग) विद्यमान है। इस दिशा में शहीद उद्यान भी है।
- पूर्व: यह दिशा भवनों से पूरी तरह भरी हुई है जिसके कारण कोई खाली भूमि नहीं है।
- पश्चिम: इस दिशा में विशाल खुले हरे मैदान हैं जैसे साई मंगलम लॉन, प्रतिषिद्ध क्षेत्र की पश्चिम दिशा में नगर निगम की भूमि और दक्षिण-पश्चिम दिशा में वृंदा लाल वर्मा उद्यान। दक्षिण-पश्चिम दिशा में रैली स्थल विद्यमान है। बहुत सारे खुले स्थान वाला झांसी शरही हाट दक्षिण-पश्चिम

दिशा में विद्यमान है। मैथिली शरण गुप्त उद्यान पश्चिम दिशा में स्थित है।

5.1.4 परिसंचरण के अंर्तनिहित आवृत्त क्षेत्र - सड़क, पैदलपथ आदि:

इस संस्मारक तक पूर्व दिशा में स्थित 8 मीटर चौड़ी बिटुमिन सड़क से पहुँचा जा सकता है। यह गुलाम गौस खान चौराहा पर जाकर मिलती है और दक्षिण-पश्चिम में नेहरू मार्ग से मिल जाती है। संस्मारक तक जाने वाली सम्पर्क सड़क में शामिल क्षेत्रफल लगभग 650 वर्ग मीटर है।

5.1.5 भवनों की ऊँचाई (क्षेत्र-वार)

- उत्तर: अधिकतम ऊंचाई 13 मीटर है।
- दक्षिण: अधिकतम ऊंचाई 13 मीटर है।
- पूर्व: अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है।
- पश्चिम: अधिकतम ऊंचाई 13 मीटर है।

5.1.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में राज्य द्वारा संरक्षित संस्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि हों:

केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक के आसपास कोई राज्य संरक्षित संस्मारक नहीं है।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

संस्मारक में उपयुक्त संकेत पट्टिकाएं, सूचना पट्ट, दिव्यांगजनों के लिए सुविधायुक्त शौचालय ब्लॉक, पेयजल सुविधा, पैदलपथ, कूड़ादान, बेन्च और प्रकाश-व्यवस्था उपलब्ध करायी गई है।

5.1.8 संस्मारक तक पहुंच:

इस संस्मारक तक 8 मीटर चौड़ी बिटुमिन सड़क से सीधे पहुँचा जा सकता है। इस संस्मारक के भीतर, आगंतुकों के आवागमन के लिए उपयुक्त पैदलपथों की व्यवस्था है।

5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जलापूर्ति, वर्षाजल निकासी, जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

अवसंरचनात्मक सेवाएं जैसे कि जलापूर्ति, वर्षाजल निकासी, जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पार्किंग की व्यवस्था प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में उपलब्ध

है।

5.1.10 क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

लखनऊ मुख्य योजना-2021-31 में केन्द्रीय संरक्षित संस्मारकों के लिए कोई विशिष्ट नियम और खंड परिभाषित नहीं है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास और निर्माण के संबंध में सामान्य नियम लागू होंगे।

अध्याय VI
संस्मारक का वास्तुशिल्पीय, ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व

6.0 वास्तुशिल्पीय, ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व:

ऐतिहासिक महत्वः

17वीं शताब्दी में, झांसी का किला ओरछा के राजा बीर सिंह जूदेव द्वारा एक पहाड़ी की चोटी पर बनवाया गया था। इसने 11वीं से 17वीं शताब्दी तक बलवन्त नगर के चन्देल राजाओं के दुर्ग के रूप में काम किया। यह किला रानी लक्ष्मी बाई द्वारा संचालित भीषण युद्ध का भी साक्षी है। किले के भीतर भगवान शिवजी और भगवान गणेशजी के मंदिर हैं। किले के भीतर रखी हुई रानी की कड़क बिजली और भवानी शंकर तोपें भी युद्ध की गाथा कहती हैं।

वास्तुशिल्पीय महत्व:

झांसी का किला भारत के सबसे अधिक रणनीतिक किलों में से एक है। यह किला अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण युद्ध लड़ने वाली महारानी लक्ष्मी बाई के वीरतापूर्ण शासन का साक्षी है। 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह किला उत्तर भारतीय वास्तुकला की शैली में बनाया गया है। झांसी के किले में ग्रेनाइट की मोटी दीवारें हैं और कई बुर्जों पर तोपे लगी हुई हैं। पहले किले की दीवार झांसी के पूरे नगर को घेरे हुए थी और इसमें दस द्वार थे। कई द्वार समय के साथ नष्ट हो गए, लेकिन कुछ अभी भी शेष हैं और द्वार के आसपास के स्थानों के लिए अभी भी द्वार के नाम प्रचलित हैं।

6.1 संस्मारक की संवेदनशीलता (जैसे विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि)।

यह संस्मारक आवासीय, वाणिज्यिक और कार्यालयी भवनों से घिरा हुआ है। यह संस्मारक के लिए एक ऐसा खतरा है जो इस पर विकास और आबादी का दबाव बना रहा है। विनियमित

क्षेत्र विकास और अन्य संबंधित गतिविधियों के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील है।

6.2 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संस्मारक प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि यह पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित है।

6.3 पहचान के लिए भूमि-उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में सार्वजनिक सड़कें, आवासीय भवन, कार्यालय, विभिन्न प्रकार के भवन और सार्वजनिक सुविधाएं हैं।

6.4 संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त अन्य पुरातत्वीय धरोहरों के अवशेष:

प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में कोई पुरातत्वीय अवशेष दिखाई नहीं देते।

6.5 सांस्कृतिक परिदृश्य:

वर्तमान में संस्मारक का कोई सांस्कृतिक परिदृश्य नहीं है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और पर्यावरण प्रदूषण से संस्मारक को संरक्षित करने में भी सहायक हैं:

संरक्षित संस्मारक इसकी स्थलाकृति और भू-प्रकृति के तौर पर एक बेसाल्ट और बलुआ पत्थर की चट्टानों की बनावट वाली पहाड़ी की चोटी है। किले और मंदिर के चारों ओर खाली स्थान रखते हुए किले की सुन्दर रूपरेखा तैयार की गई है। विनियमित क्षेत्र की पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा में भी काफी सारा खुला स्थान उपलब्ध है। इस सबसे संस्मारक के लिए विशाल प्राकृतिक भूदृश्य बन जाता है जो संस्मारक को पर्यावरणीय प्रदूषण से सुरक्षित रखता है।

6.7 खुले स्थान का उपयोग और निर्माण:

खुले स्थान का उपयोग कॉलोनियों एवं स्कूलों के लिए मैदान और उद्यान के रूप में किया जाता है।

6.8 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी के महिने में एक बड़ा उत्सव झांसी महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है जिसमें अनेक प्रसिद्ध हस्तियों और कलाकारों के द्वारा प्रस्तुती पेश की जाती है।

6.9 संस्मारक एवं विनियमित क्षेत्रों से दृश्यममान क्षितिज:

किले की अवस्थिति शहर में एक प्रबल दृश्यात्मक उपस्थिति दर्ज करती है। संस्मारक एक पहाड़ी पर अवस्थित होने के कारण विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नीचे बसी हुई बस्ती से संस्मारक की ऊँचाई और दूरी के कारण, किले का दृश्य दर्शनीय है और आम तौर पर प्रभावित नहीं होता है।

6.10 पारंपरिक वास्तुकला:

संस्मारक के आसपास कोई पारंपरिक वास्तुकला विद्यमान नहीं है।

6.11 स्थानीय प्राधिकरणों के पास उपलब्ध विकास योजना:

इसे अनुलग्न क-V पर देखा जा सकता है।

6.12 भवन निर्माण से संबंधित मापदंड :

(क) स्थल पर निर्माण की ऊँचाई (छत संरचना जैसे ममटी, मुंडेर (पैरापेट), आदि सहित): संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी भवनों की ऊँचाई 10 मीटर तक सीमित रहेगी।

(ख) तल क्षेत्र: तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार होगा।

(ग) उपयोग: स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं।

(घ) अग्रभाग रचना (डिजाइन):

- **अग्रभाग को संस्मारक के परिवेश से मिलता-जुलता होना चाहिए।**
- **सामने की सड़क के किनारे या सीढ़ी वाले शाफ्ट के साथ फ्रेंच दरवाजे और बड़े कांच के अग्रभाग की अनुमति नहीं होगी।**

(ङ) छत की रचना (डिजाइन): केवल समतल छत की रचना को अपनाया जाएगा।

(च) भवन निर्माण सामग्री:

- **संस्मारक के सभी गली-अग्रभागों की सामग्री और रंग में समरूपता।**
- **बाह्य परिसज्जा हेतु आधुनिक सामग्री जैसे कि एल्यूमीनियम आवरण, कॉच की ईंटों, और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।**
- **पारंपरिक सामग्री जैसे ईंट और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।**

(छ) रंग: बाहरी दीवार का रंग संस्मारकों के साथ मेल खाने वाले हल्के रंग का होना चाहिए।

6.13 आगंतुक हेतु सुख-सुविधाएं:

स्थल पर आगंतुक हेतु सुख-सुविधाएं जैसे प्रकाश-व्यवस्था, शौचालय, विवेचना केंद्र, कैफेटेरिया, पीने का पानी, स्मारिका दुकान, दृश्य-श्रव्य केन्द्र, रैंप, वाई-फाई और ब्रेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय-VII

स्थल विशिष्ट संस्तुतियॉ

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

(क) भवन के चारों का क्षेत्र

- सामने के भवन का किनारा, विद्यमान मार्ग की सीध में ही होना चाहिए। भवन के चारों ओर छोड़े गए क्षेत्र (सैटबैक) अथवा न्यूनतम खुली हुई जगह की आवश्यकता को आंतरिक आंगन व छत के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) प्रक्षेपण

- सड़क के 'बाधामुक्त' रास्तों से आगे भूमि स्तर पर किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलियों में विद्यमान भवन के किनारे की रेखा से विमाओं को मापते हुए 'बाधा मुक्त पथ' उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) संकेतक

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज़ (संकेत पट्टिकाओं) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों, प्लास्टिक फाइबर ग्लास अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में किसी विज्ञापन को अनुमति नहीं होगी।
- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि किसी भी धरोहर संरचना या संस्मारक को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- संस्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियॉ

- विस्तृत स्तर पर जन-जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक धरोहर स्थल एवं परिसीमा से संबंधित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument Jhansi Fort at Jhansi, Jhansi, U.P., prepared by the Competent Authority are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public,

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected Monument Jhansi Fort at Jhansi, Jhansi, U.P.
(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the monuments.
(iii) They shall come into force with effect from the date of theirpublication.

1.1 Definitions:

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-
(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958),

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot,
FAR = Total covered area of all floors divided by plot area,

(i) "Government" means The Government of India,

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and

the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto,

(k) "owner" includes-
  (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and
  (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(n) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(p) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2.0 Background of the Act:-The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and, permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER – III

LocationandSettingoftheCentrallyProtected Monument Jhansi Fort at Jhansi,, U.P.

3.0 Location and Setting of the Monument:

- This site is located at GPS Coordinates: Lat. 25° 27’28.56’’N, Long. 78°34’32.32’’ E.
- The Jhansi Fort or Jhansi ka Kila is a fortress situated on a large hilltop called Bangira, in Uttar Pradesh, Northern India.
- The Jhansi fort is located in the middle of the Jhansi city.
- It is 3km from the Jhansi Junction Railway Station.

- The nearest airportis Rajmata Vijaya Raje Scindia Terminal, Gwalior Airport Gwalior, which is 103km from Jhansi connecting to all the metro cities of India

Jhansi Fort at Jhansi, Tehsil and District Jhansi, U.P.

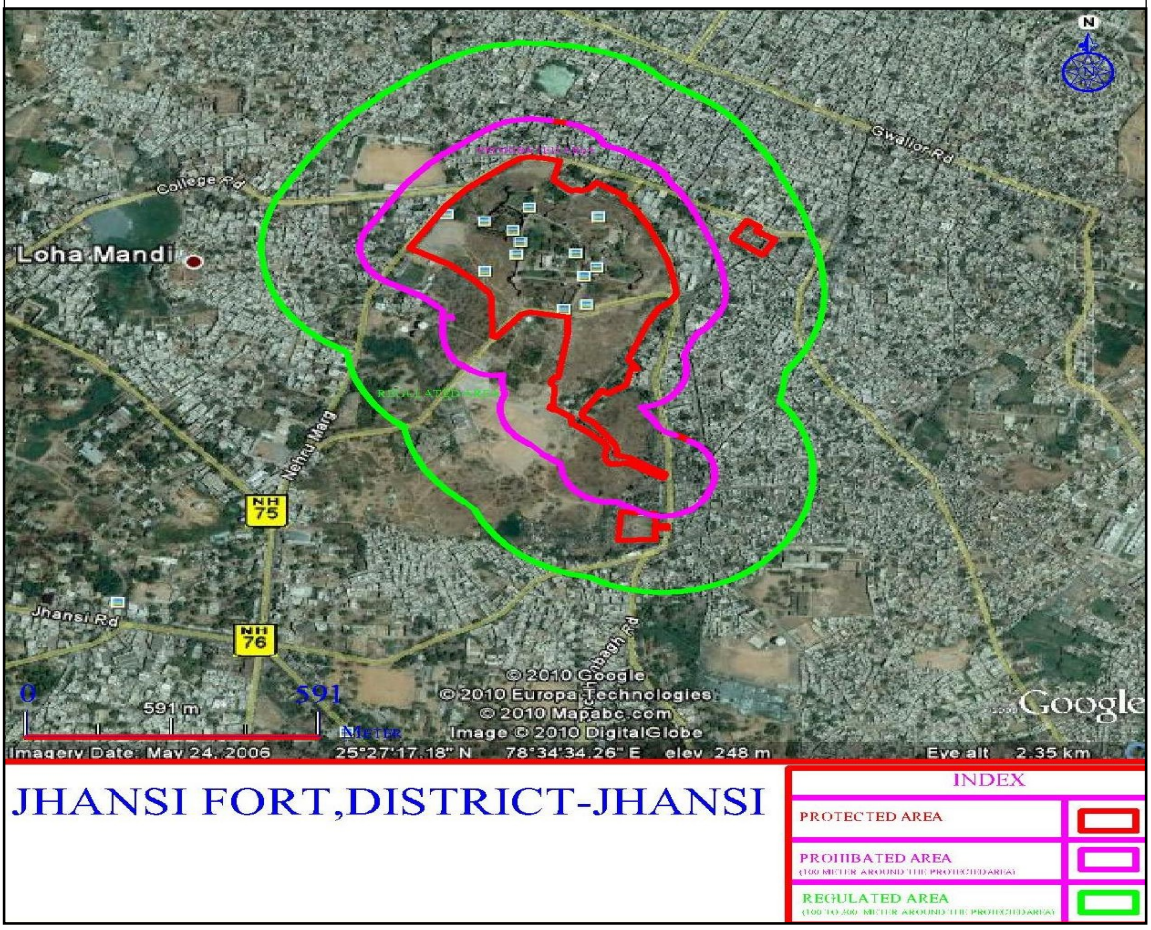

Google Map of the Centrally Protected Monument Jhansi Fort at Jhansi, Jhansi, U.P.

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundary ofJhansi Fort at Jhansi, U.P.may be seen at **Annexure I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

It may be seen at **Annexure II**.

3.2 History of the Monument:

Jhansi Fort, also known as Jhansi ka Kila, was built in the 17th century by Raja Bir Singh Deo on a large hilltop called Bangira, in Uttar Pradesh. In 1729, Maharaj Chattrasal gave the fort to Mohammed Khan Bangash as a token of his gratitude, for helping him to defeat the Mughal army. In 1742, Naroshanker was appointed as subedar of Jhansi, who not only extended the fort but also added other buildings. After Naroshanker, Madhav Govind Kakirde followed by Babulal Kanahai served as the subedar of Jhansi. Vishwas Rao Laxman

served from 1766 to 1769, and was followed by RaghunathRao(II) Newalkar, who apart from increasing the revenue of the state also built the MahaLakshmi Temple and the Raghunath Temple. His rule was followed by the inefficient Raghunath Rao (III) who left Jhansi in a terrible financial state. Jhansi again got an able administrator in the form of Raja Gangadhar Rao, who, due to his generosity, succeeded in keeping the local population satisfied. Following his death, Manikarnika Tambe, his wife, later known as Rani Laxmi Bai, ruled in his place. In April 1858, British forces captured Jhansi under General Hugh Rose, the British Government gave it to the Maharaja of Gwalior and took it back in1868.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materialsetc.):

Thereare10gatesgivingaccesstothefort.SomeofthesearеKhanderaoGate,Datia Darwaza, Unnao Gate, Jharna Gate, Laxmi Gate, Sagar Gate, Orchha Gate, Sainyar Gate and Chand gate. There is temple of Lord Shiva and temple of Lord Ganesha at the entrance and the Kadak Bijli cannon used in the First War of Independence in 1857. The memorial board reminds one of the hair-raising feats of the Rani Lakshmi Bai in jumping on horseback from the fort. The fort extends to a sprawling expansion of 15 acres(61,000 sqm)andthiscolossalstructuremeasuresabout312meterinlengthand225meters in width. On the whole, there are twenty-two supports with a mammoth strengthening wall cosseted by a moat on both sides. The shattered upholder on the eastern side was rebuilt by the British, who also supplemented a floor to Panch Mahal. During the First War of Independence in 1857, the queen of Jhansi put all the people inside the Palace.

3.4 CURRENT STATUS:

3.4.1 Condition of Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

It is a ticketed monument. Around 550 visitors visit the monument every day. The number increases to 800-1000 on Sundays. In Shivaratri, the number goes to 25,000 visitors every day.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

Specifically, for the monument there is no zoning made in the act and rules framed by the state government.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies / Status of:

It may be seen at **Annexure-III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan ofJhansi Fort at Jhansi, Jhansi, U.P:

Survey Plan of Jhansi Fort at Jhansi, Jhansi, U.P. may be seen at **Annexure- IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area in sqms and their salient features:

- Protected Area: 203496.175 sqm
- Prohibited Area: 287079.948 sqm.
- Regulated Area: 717208.1763sqm.

Salient Feature:

The maximum height of the monument is approximately 85m from ground level. The monument lies in a densely populated area. Residences, commercial buildings, banks, institutional buildings are sprawled around the monument. A substantial amount of open space is present in the west and south-west direction of the monument.

5.1.2 Description of built-up area:

Prohibited Area:

- **North –**Commercial and institutional buildings namely Laxmibai Kanya Pathshala and Goenka Public School lies in this direction. Religious buildings namely Mata Temple with residences is presentfrom north-east to north-west direction.
- **South–** Hanuman Temple and water body in form of a pond are present in this direction.
- **East –**District hospital Jhansi, commercial and residential area are presentin this direction.
- **West** –Very less built up is there in this direction. Bapu Bhawan as commercial area is presentin this direction.

Regulated Area:

- **North –**Ganesh Temple attached with market, several other temples, hospital and institutionalbuildingsnamelyLokmanyaTilakGirlsInterCollegeandresidences are present in north-east and north-west direction.
- **South–**It is flooded with residences, Sainik School, Hanuman Temple are present in south- west direction.
- **East –** Commercial and residential building are present in this direction.
- **West–**K.C.Rajkiya Girls Inter College, Nehru Yuva Kendra, Raj Rashi

Purushottam Tandon High School and several residences are present in this direction. L.I.C building, BJP office, bank, Temple Kshetriya forest office lies in south-west direction. Zila Sahakari Bank and commercial buildings also are present in south-west direction.

5.1.3 Description of green/open spaces:

- **North –**No appreciable open area is present in north direction of Prohibited and Regulated Area.
- **South –** Substantial open area is there in Prohibited Area. Jhokam Bagh (angrezo Ka Bagh) is present in Regulated Area of this direction. Shahid Park also is present in this direction.
- **East –** This direction is densely packed with buildings leaving no open space.
- **West –** This direction is sprawled with open green areas like Sai Manglam lawn, Nagar Nigam land in west direction of Prohibited Area and Vrinda Lal Verma parking in south-west direction. Rally thal are present in south-west direction. Jhansi urban Haat with lots of open space is present in south-west direction. Maithili Sharan Gupta Park is present in west direction.

5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc:

The monument is approached by 8 m wide Bitumen road which in east direction. It meets Gulam Gaus Khan Chauraha and in south-west meets Nehru Marg. The area covered by the approach road to the monument is approximately 650sqm.

5.1.5 Heights of building (Zone wise):

- **East:** Maximum height is 10m.
- **West:** Maximum height is 13m.
- **North:** Maximum height is 13m.
- **South:** Maximum height is 13m.

5.1.6 State protected monument and listed heritagebuilding by local authorities if available with in Prohibited/Regulated Area:

There is no State Protected Monument nearby the Centrally Protected Monument.

5.1.7 Public amenities:

Proper signages, notice board, toilet block with facility for differently abled people, drinking water facility, pathways, dustbins, benches and illumination is provided at the monument.

5.1.8 Access to monument:

The monument is directly accessed by an 8m wide bitumen road. Inside the monument, proper pathways are provided for the movement of visitors.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid Waste management, parking etc.):

Infrastructure services like water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management and parking is provided in Prohibited and the Regulated Area.

5.1.10 Proposed zoning of the area:

There is no particular rule and clause defined in Lucknow Master Plan -2021-31 for Centrally Protected Monuments. General rules will be applicable for any development and construction in Prohibited and Regulated Area.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument.

6.0 Architectural, historical and archaeological value of the monument:

Historical value:

In 17th century, the Jhansi fort was built by King Bir Singh Judeo of Orchha on top of a hill. It served as a stronghold of the Chandela Kings in Balwant Nagar from the 11th through the 17th century. The fort also witnessed the fiery battle led by Rani Laxmi Bai. There are temples of Lord Shiva and Lord Ganesha within the fort. The Karak Bijli and Bhawani Shankar cannon of the queen are also kept inside the fort defining the story of the battle.

Architectural value:

Jhansi Fort is one of the most strategic forts of India. This Fort is the witness of heroic rule of Maharani Laxmi Bai who fought against the British so fiercely. Sprawling over an area of 50 acres, the fort is built in the north Indian style of architecture. Jhansi Fort has thick granite walls and several bastions with mounted cannons. Earlier the wall of the fort used to surround the entire city of Jhansi and had ten gates. Many of the gates have disappeared with time, but some still stand and the places near the gates are still popular by the names of the gates.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The monument is surrounded by residential, commercial and official buildings. It is a threat to the monument giving it a developmental and population pressure. The Regulated Area is more sensitive towards development and other related activities.

6.2 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The monument is located on the hill top; hence it is clearly visible from Prohibited and Regulated Area.

6.3 Land- use to be identified:

Prohibited and Regulated Area has public roads, residential buildings, offices, structures of various types and public utilities.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

There are no visible archaeological remains in the Prohibited and Regulated Areas.

6.5 Cultural landscapes:

There is no cultural landscape associated with the monument in the present day.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

In its topography and landform, the protected monument is atop a hill of basaltic and sandstone rock formation. The fort is beautifully designed keeping open space around the fort and temple. Significant open space is also available in west and south-west direction of Regulated Area. All this becomes considerable natural landscape for the monument and helps in protecting the monument from environmental pollution.

6.7 Usage of open space and constructions:

The open space is used as park and ground for colonies and schools.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

Every year in the month of January to February a grand occasion is held known as Jhansi Mahotsav, many eminent personalities and artist perform their play.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The setting of the fort has a very strong visual presence in the city. The monument is clearly visible from all the directions from Regulated Area as it is located on a hill top. Because of the height and distance of the monuments from the settlement below, the views from the fort are spectacular and not affected in general.

6.10 Traditional Architecture:

No traditional architecture exists around the precinct of the monument.

6.11 Development plan as available by the local authorities:

It may be seen at **Annexure V.**

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 10m.

(b) Floor area: FAR will be as per local building bye-laws.

(c) Usage:-As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design:

- The façade design should match the monument.
- French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

(e) Roof design: Flat roof design may be used.

(f) Building material:

- Consistency in materials and color along all street façades of the monument.
- Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
- Traditional materials such as brick and stone should be used.

(g) Colour: The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, wi-fi and braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations.

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the ‘obstruction free’ path of the street. The streets shall be provided with the ‘obstruction free’ path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently abled persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE – I

उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित झांसी के किले की संरक्षित सीमा
PROTECTED BOUNDARY OF JHANSI FORT AT JHANSI, JHANSI, U.P.

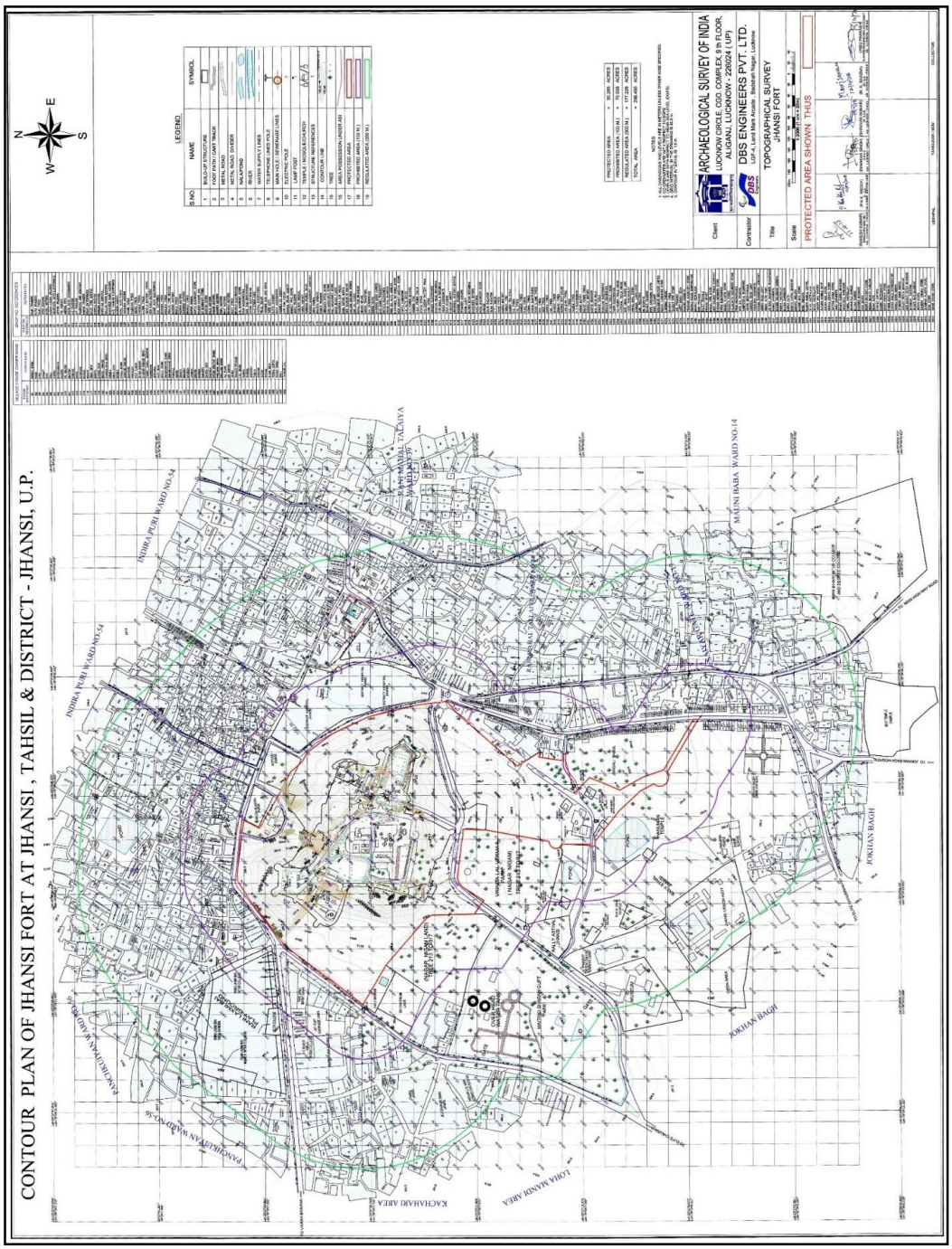

अनुलग्नक-II
ANNEXURE – II

संस्मारक की अधिसूचना
NOTIFICATION OF THE MONUMENT

F-76

DEPARTMENT OF CULTURE

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 22nd February, 1988

ARCHAEOLOGY

S.O. 803.—Whereas by a notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) S.O. No. 2136 dated the 30th July, 1987, published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 15th August, 1987 the Central Government gave two month's notice of the intention to declare the monument specified in the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said monument as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 19th August, 1987;

And whereas, no objection from the public has been received by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section 3 of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of monument	Revenue plot number included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Uttar Pradesh	Jhansi	Jhansi	Jhansi	Khasara numbers 3045 and 3048 and part of Khasara numbers 3042 and 3952 as shown in the site plan reproduced below.	19.838 hectors.	North—Road Kotwali library and quarters. East—Remaining portion of Khasara numbers 3952 shops buildings and road. South—Khasara numbers 3043, 4058 and remaining portion of Khasara number 3042 and Laxmi Bai Park. West—Road.	Government.	

स्थानीय निकायों के दिशानिर्देश

1. **नए निर्माण, इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमत्य भू-आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात / तल स्थान अनुपात और ऊँचाइयाँ**

वर्तमान में राज्य सरकार के कुछ अधिनियम हैं जिनमें धरोहर से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं बनाए गए हैं। तथापि, निर्माण से संबंधित सामान्य दिशानिर्देशों का विनिर्देशन है। इन दिशानिर्देशों का उल्लेख क्रमशः खंड 1.1.2 और 1.1.1 के तहत "विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप प्रविधि (डीएबीसीडीएसएम)-2008" में "उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास(यूपीएमपीडी) अधिनियम-1973" में किया गया है।

- **विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप प्रविधि-2008 के अनुसार तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)/ तल स्थान अनुपात (एफएसआई) का निर्धारण निम्न प्रकार हैः-**

विनिर्देशन	भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	सामने का हाशिया	पृष्ठभाग का हाशिया	साइड 1 का हाशिया	साइड2 का हाशिया	तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)
गली मकान	50 तक	1.0	-	-	-	2.00
	50 से 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	100 से 150	2.0	2	-	-	1.75
	150 से 300	3.0	3	-	-	1.75
अर्ध-असंबद्ध	300 से 500	4.5	4.5	3	-	1.50
संबद्ध	500 से 1000	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000 से 1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 से 2000	9.0	6	6	6	1.25

क. अन्य भूमि उपयोग के लिए भू-आवृत्त और एफएआर :

क्र. सं.	भूमि उपयोग	भू-आवृत्त प्रतिशतता में	तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)
1	आवासीय भूखंड		
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	100 तक	75	2.00
	101 से 300	65	1.75
	301 से 500	55	1.50
	501 से 2000	45	1.25

- **निर्मित/नए/अविकसित क्षेत्र के अनुसार भू-आवृत्त क्षेत्रफल और तल क्षेत्र अनुपात एफएआर। आवासीय फ्लैट के लिए निम्न प्रकार हैः**

विवरण	आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर	भू-आवृत्त प्रतिशतता में (%)	तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)
निर्मित क्षेत्र	100 तक	75	2.00
	101 से 300	65	1.75
	301 से 500	55	1.50
	501 से 2000	45	1.25

विवरण	आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भू-आवृत्त प्रतिशतता में (%)	तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)
नया/अविकसित क्षेत्र	100 से	65	2.00
	101 से 300	60	1.75
	301 से 500	55	1.50
	501 से 2000	45	1.25

- **12.5 मीटर से 15 मीटर की ऊँचाई तक, वाणिज्यिक/सरकारी/सांस्थानिक/समुदाय/सम्मेलन कक्षों/जन सुविधाओं के लिए भवन के चारों ओर का क्षेत्र (सैटबैक)**:

वर्ग मीटर में भूखंड का क्षेत्रफल	इमारत के चारो ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) (मीटर में)			
	सामने	पीछे	साइड 1	साइड 2
200 तक (वाणिज्यिक को छोड़कर)	3.0	3.0	-	-
201 - 500 (वाणिज्यिक सहित)	4.5	3.0	3.0	3.0
501 से अधिक (वाणिज्यिक सहित)	6.0	3.0	3.0	3.0

- **12.5 मीटर तक की ऊँचाई तक या तीन मंजिलों तक वाणिज्यिक/सरकारी/समुदाय/ सम्मेलन कक्षों के लिए उपर्युक्त अनुसार सैटबैक रहेगा परन्तु सांस्थानिक/जन सुविधाओं (शैक्षणिक भवन को छोड़कर) भवन के चारों ओर का क्षेत्र (सैटबैक) निम्न प्रकार होगाः**

भूखंड का क्षेत्रफल	इमारत के चारो ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) (मीटर में)			
वर्ग मीटर में	सामने	पीछे	साइड 1	साइड 2
200 तक	3	3	-	-
201-500	6	3	3	-
501-2000	9	3	3	3
2001- 4000	9	4	3	3
4001 - 30000	9	6	4.5	4.5
30001 से ऊपर	15	9	9	9

- **12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन के लिए भवन के चारों ओर का क्षेत्र**

भवन की उँचाई (मी.)	भवन के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (मी.)
12.5 से 15 तक	5.0
15 से 18 तक	6.0
18 से 21 तक	7.0
21 से 24 तक	8.0
24 से 27 तक	9.0
27 से 30 तक	10.0
30 से 35 तक	11.0
35 से 40 तक	12.0
40 से 45 तक	13.0
45 से 50 तक	14.0
50 से ऊपर	15.0

- **भू-गृह तल विनिर्देशनः**
  - **विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप-विधि (डीएबीसीडीएसएम)-2008 के अनुसार आवासीय भवन में निम्नतल की अनुमति नहीं है। और निम्नतल में शौचालय तथा रसोईघर बनाने की अनुमति नहीं होगी।**
  - **निम्नतल तल आन्तरिक प्रांगण और निकास के नीचे अनुमत्य है।**
  - **निम्नतल तल का निर्माण ढाँचे का मूल्यांकन करने के पश्चात् ही किया जाएगा। पड़ोस की सम्पत्ति उस सम्पत्ति से 2 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए जिसमें निम्नतल तल का निर्माण किया जाना है।**

विभिन्न किस्म के भवनों के लिए निम्नतल तल के निर्माण संबंधी विवरण निम्न प्रकार हैं:

क्र. सं.	भूमि क्षेत्र (वर्ग मी. में)	भूमि उपयोग की किस्म	निम्नतल तल से संबंधित प्रावधान
1	100 तक	1. आवासीय/ अन्य गैर-व्यावसायिक	अनुमत्य नहीं
		2. सरकारी और वाणिज्यिक	50 प्रतिशत भू-आवृत्त अनुमत्य है
2	100 से 2000 तक	1. आवासीय	20 प्रतिशत भू-आवृत्त अनुमत्य है
		2. गैर - आवासीय	अनुमत्य भू-आवृत्त के समान
3.	2000 से अधिक	1. सामूहिक आवास/ वाणिज्यिक और अन्य बहुमंजिला भवन	भूमि के 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में दोहरे निम्नतल तल की अनुमति है और 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक होने पर तीन निम्नतल तलों की अनुमति है।
		2. उद्योग	भू-आवृत्त के समान और 50 प्रतिशत निम्नतल तल की गणना एफएआर में होगी

ग. पार्किंग सुविधा:

1. **आवासीय स्थल क्षेत्र में पार्किंग का प्रावधान निम्न प्रकार है:**

आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी)	प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए कार पार्किंग
100 **वर्ग मीटर तक**	1.00
100-150 **वर्ग मी.**	1.25
150 **वर्ग मी. से ऊपर**	1.50

2. **सांझा कार पार्किंग हेतु अपेक्षित परिसंचरण क्षेत्र।**

I. **खुले क्षेत्र में पार्किंग** – 23**वर्गमी.**

II. **आच्छादित पार्किंग** – 28 **वर्गमी.**

III. **भू-गृह तल में पार्किंग** – 32 **वर्गमी.**

➢ **अन्य भूमि उपयोग हेतु एफएआर और भू-आवृत्त:**

क्रम. सं.	भूमि-उपयोग	भू-आवृत्त % में	तल क्षेत्र अनुपात
1.	**आवासीय भूखंड**		
क	**विकसित क्षेत्र के लिए**		
	• 100 **वर्गमी. तक**	75	2.00
	• 101-300 **वर्ग मी.**	65	1.75
	• 301-500 **वर्ग मी.**	55	1.50
	• 501-2000 **वर्ग मी.**	45	1.25
ख	**नया/अविकसित क्षेत्र**		
	• 100 **वर्ग मी. तक**	65	2.00
	• 101-300 **वर्ग मी.**	60	1.75
	• 301-500 **वर्ग मी.**	55	1.50
	• 501-2000 **वर्ग मी.**	45	1.25
2.	**वाणिज्यिक**		
क	**विकसित क्षेत्र के लिए**		
	• **नुक्कड़ दुकान**	60	2.00

क्रम. सं.	भूमि-उपयोग	भू-आवृत्त % में	तल क्षेत्र अनुपात
	• पड़ोस की दुकान	40	1.75
	• शॉपिंग स्ट्रीट	40	1.50
	• जिला शॉपिंग केन्द्र/उप केन्द्रीय व्यावसायिक जिला	40	1.25
	केन्द्रीय व्यावसायिक जिला	50	1.50
		40	1.75
		30	2.00
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• नुक्कड़ की दुकान	50	1.50
	• पड़ोस की दुकान/सैक्टर शापिंग सैन्टर	40	1.75
	• जिला शॉपिंग केन्द्र/उप केन्द्रीय व्यावसायिक जिला	35	2.00
	केन्द्रीय व्यावसायिक जिला	30	5.00
3.	सरकारी		
i.	निर्मित क्षेत्र	40	1.50
ii.	विकसित क्षेत्र	30	2.00
iii.	नया /अल्पविकसित क्षेत्र		
	• सरकारी एवं अर्ध सरकारी	35	2.00
	• व्यावसायिक/वाणिज्यिक कार्यालय	30	2.50
4.	शैक्षणिक		
क	निर्मित/विकासशील क्षेत्र		
	• प्राथमिक या नर्सरी स्कूल	35	0.8
	• उच्च विद्यालय /माध्यमिक/ उच्चतर संस्थान	30	1.00
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• नर्सरी स्कूल	40	0.8
	• प्राथमिक	35	1.00
	• हाई स्कूल /माध्यमिक	35	1.20

क्रम. सं.	भूमि-उपयोग	भू-आवृत्त % में	तल क्षेत्र अनुपात
	• डिग्री कॉलेज	35	1.50
	• तकनीकी/प्रबंधन संस्थान	35	2.00
5.	सामुदायिक और सांस्थानिक सुविधाएं		
क.	निर्मित/विकसित क्षेत्र	35	1.50
ख.	नया/अल्पविकसित क्षेत्र		
	• सामुदायिक भवन, मैरिज हॉल एवं धार्मिक भवन	40	1.50
	• अन्य संस्थान	30	2.00
6.	होटल		
क.	निर्मित/विकसित क्षेत्र		
	• 3 सितारा तक	40	1.20
	• 5 सितारा और इससे ऊपर	30	2.00
ख.	नया/अल्पविकसित क्षेत्र		
	• सितारा तक	40	1.50
	• 5 सितारा और इससे ऊपर	30	2.50
7.	अस्पताल		
क.	निर्मित/विकसित क्षेत्र		
	क्लिनिक/औषधालय	35	1.5
	50 बिस्तर वाला नर्सिंग होम	35	1.5
	50-100 बिस्तर वाला हस्पताल	35	1.5
	100 और इससे अधिक बिस्तर वाला हस्पताल	30	2.5
8.	खुला स्थान		
क.	निर्मित/विकसित क्षेत्र	2.5	0.025
ख.	नया/अल्पविकसित क्षेत्र	2.5	0.025

2. स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध धरोहर उप विधि/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हों।

जैसा कि विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप विधि-(डीएबीसीडीएसएम) 2016 के रूप में संशोधित, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा 3.1.9, **उप-धारा (**I) **एवं (**II) **में अध्याय-**3 **के तहत पहले ही परिभाषित किया जा चुका है कि एएसआई**

के घोषित धरोहर या संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण को अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त विनियमित क्षेत्र में अनुमति राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधन और विधिमान्यकरण) के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अलावा अन्य संरक्षित स्मारक के संबंध में लागू धरोहर उप-विधि।

ऐतिहासिक भवनों के निकट या मुख्य सड़क के साथ लगते वास्तुकला नियंत्रित क्षेत्रों में भवन निर्माण करने के लिए वास्तुकला विभाग से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

- संस्मारक/धरोहर भवन के परिसर से 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी प्रकार के निर्माण को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
- संस्मारक के परिसर से 50 मीटर से 150 मीटर की दूरी के बीच (अधिकतम 3.8 मीटर ऊँचे) आवासीय भवनों की केवल एक मंजिल की अनुमति दी जाएगी।
- संस्मारक परिसर से 150 मीटर से 250 मीटर तक की दूरी के बीच में अधिकतम अनुमत्य ऊँचाई 7.6 मीटर की मंजूरी दी जाएगी।
- एएसआई संरक्षित स्थल पर भारत सरकार के संगत प्रावधान लागू होंगे जबकि उपर्युक्त प्रावधान अन्य संरक्षित संस्मारकों (जो एएसआई के द्वारा संरक्षित नहीं हैं) पर लागू होंगे।

3. खुले स्थान

उत्तर प्रदेश विकास योजना-2008 और 2011 के अनुसार उल्लिखित खुला स्थान क्षेत्रफल मानकः

1. आवासीय भूमि-उपयोगः नक्शा योजना का 15 प्रतिशत बाल क्रीड़ांगन के लिए खुले खेल के मैदान, पार्क खेल के मैदान के तौर पर छोड़ा जाएगा।
2. गैर आवासीय भूमि-उपयोगः नक्शा योजना का 10 प्रतिशत बाल क्रीड़ांगन के लिए खुले खेल के मैदान, पार्क और खेल के मैदान के तौर पर छोड़ा जाएगा।
3. भू-परिदृश्य योजनाः
   - क. जहाँ सड़क 9 मीटर या 12 मीटर से कम चौड़ी हो, वहाँ सड़क के साथ एक तरफ 10 मीटर की दूरी पर वृक्ष लगाए जाएंगे।
   - ख. जहाँ सड़क 12 मीटर से अधिक चौड़ी हो, वहाँ सड़क के साथ दोनों तरफ वृक्ष

लगाए जाएंगे।

ग. डिवाइडर, फुटपाथ आदि से हटकर बचे सड़क के हिस्से का प्रयोग वृक्षरोपण हेतु किया जाएगा।

4. वाणिज्यिक योजना में 20 प्रतिशत खुला स्थान हरियाली के लिए आरक्षित रखा जाएगा और प्रति हेक्टेयर में 50 वृक्ष लगाए जाएंगे।

5. सांस्थानिक क्षेत्र, जन सुविधाओं, खेल के मैदान जैसे क्षेत्रों में 20 प्रतिशत खुला क्षेत्र आरक्षित रखा जाएगा और प्रति हेक्टेयर 25 वृक्ष लगाए जाएंगे।

नोटः उपर्युक्त सभी खंडों का उल्लेख उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 के तहत (उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप-विधि-2008) में है।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवाजाही – सड़क के ऊपर, पैदलपथ पर, मोटर-रहित परिवहन आदि

लखनऊ को धरोहर नगर माना जाता है और ज्यादातर संस्मारक लखनऊ के सघन नगरीय क्षेत्र में आते हैं। सड़क-तन्त्र और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का विकास आवश्यकता के अनुसार नहीं हुआ है। वाहनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। विद्यमान तन्त्र में अत्यधिक भीड़ होने के कारण धरोहर संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में पार्किंग की गम्भीर समस्या हो गई है।

आवाजाही सार्वजनिक और निजी साधनों अर्थात् दो पहिया, तीन पहिया, साइकल, टैम्पो, कार, जीप, ऑटो, रिक्शा, आठ-सीटों के टैम्पो, चार-सीटों के छोटे टैम्पो, गाड़ी आदि के द्वारा होती है और सार्वजनिक वाहनों में लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) की बसे शामिल हैं जो लखनऊ महानगर परिवहन सेवा के नाम से चलती हैं और दूसरी बसें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के द्वारा चलाई जाती हैं।

5. गली-दृश्य, भवन का अग्रभाग और नवीन निर्माण

गली-दृश्य और भवन का अग्रभागः –

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में गली-दृश्यों और भवन के अग्रभागों के संबंध में कोई विशिष्ट उप-नियम और दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि लखनऊ मुख्य योजना 2021-31 के अनुसार नए निर्माण से संबंधित सामान्य दिशानिर्देश हैं :

नवीन निर्माण

- मुख्य भूमि-उपयोग योजना में विद्यमान मूलभूत सुविधाओं जैसे कि जलापूर्ति, महाराजा टिकैत जल-प्रणाली, जल-मल निकासी, विद्युत आपूर्ति, खुले स्थान और यातायात, पार्किंग आदि पर विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिए।
- अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात और ऊँचाई भूमि-उपयोग योजना में उल्लेख किए गए अनुसार होगी।
- बुकिंग कार्यालय, गाईड कार्यालय, पर्यटन से संबंधित कार्यालय, दुकानें, रेस्त्रां, फोटोग्राफर, महाराजा टिकैत रेल/वायुयान/टैक्सी आदि के साथ-साथ अन्य आवश्यक समारोह जैसे कि अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल आदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू भवन शुल्कों के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे।
- संवेदनशील क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ मास्टर प्लान में सुरक्षा क्षेत्र प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।

दिव्यांगजनों के लिए प्रावधान –

- दिव्यांगजनों के लिए एक कोरिडोर प्रवेश/निर्गम द्वार से जुड़ा होना चाहिए और उस स्थान के साथ भी, जहाँ पर भवन के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई हो।
- कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को दिशा निर्देशित करने के लिए, एक ध्वन्यात्मक व्यवस्था मंजिल पर की जानी चाहिए, या ध्वनि-संकेत देने के लिए एक यन्त्र का प्रयोग किया जा सकता है।
- गलियारें की अधिकतम चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए।
- विभिन्न स्तर के निर्माण के मामले में, ढलानयुक्त पट्टी-मार्ग जैसे कि रैम्प (ढलवा मार्ग) 1:12 अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा।
- ढलान/ढलानयुक्त मार्ग/रैम्पों पर रेलिंग लगाई जाएगी।

ANNEXURE– III

LOCAL BODIES GUIDELINES

1. **Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated Area for new construction, Set Backs.**

At present there are some acts of the state government where in no specific provision are made pertaining to the heritage. However, general guidelines are specified for the construction. These guidelines are mentioned in the **Uttar Pradesh municipal planning and development (UPMPD) act-1973** in the **Development Authority Building Construction and Development sub method (DABCDSM) -2008** under the clause 1.1.2 and 1.1.1respectively.

- As per the Development Authority Building Construction and Development inmethod-2008theFAR/FSIarespecifiedasbelow:

Specification	Plot Area (Sq. Mt.)	Front Margin	Rear Margin	Side1 Margin	Side2 Margin	FAR
Row Housing	Up to 50	1.0	-	-	-	2.00
	50 to 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	100 to 150	2.0	2	-	-	1.75
	150 to 300	3.0	3	-	-	1.75
Semi Detached	300 to 500	4.5	4.5	3	-	1.50
Detached	500 to 1000	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000 to 1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 to 2000	9.0	6	6	6	1.25

- **Ground coverage and FAR for other Land-use:**

Sno.	Land Use	Ground Coverage in %	F.A.R.
1.	**Plotted residential**		
	New /Undeveloped area		
	• Upto 100 Sqm	65	2.00
	• 101-300Sqm	60	1.75
	• 301-500Sqm	55	1.50
	• 501-2000Sqm	45	1.25

- GroundcoverageandFARasperconstructed/new/undevelopedarea. Residential flats are describedas:

Particular	Residential flat area in Sqm.	Ground cover in percent (%)	FAR
Constructed Area	up to 100	75	2.00
	101 to 300	65	1.75
	301 to 500	55	1.50
	501 to 2000	45	1.25

Particular	Residential flat area in Sqm.	Ground cover in percent (%)	FAR
New/Undeveloped Area	up to 100	65	2.00
	101 to 300	60	1.75
	301 to 500	55	1.50
	501 to 2000	45	1.25

- Setback for Commercial/ Official/ Institutional/ Community/ Conference hall/Public amenities, for 12.5m to 15m height:

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	front	Rear	Side1	side2
Up to 200 (Except Commercial)	3.0	3.0	-	-
201 - 500 (Including Commercial)	4.5	3.0	3.0	3.0
More than 501 (Including Commercial)	6.0	3.0	3.0	3.0

- Setback for Commercial/Official/Community/Conference hall up to three floor or upto 12.5m height will be the same as above mentioned but for the Institutional/Public amenities (leaving educational building) the setback will be as follows:

Area of Land	Set Back in Meter			
In Sqm.	Front	Rear	Side 1	Side 2
Upto 200	3	3	-	-
201-500	6	3	3	-
501-2000	9	3	3	3
2001 to 4000	9	4	3	3
4001 to 30000	9	6	4.5	4.5
Above 30001	15	9	9	9

- Setback for building having height more than 12.5m.

Height of Building (m)	Setback left around the Building (m)
12.5 to 15	5.0
15 to 18	6.0
18 to 21	7.0
21 to 24	8.0
24 to 27	9.0
27 to 30	10.0
30 to 35	11.0
35 to 40	12.0
40 to 45	13.0
45 to 50	14.0
Above 50	15.0

- **Basement Specification:**
  - As per the **Development Authority Building Construction and Development sub method (DABCDSM) -2008** basement is not allowed in the building for residential purpose. And no toilet and kitchen are allowed to be constructed inbasement.
  - The basement is permissible below the inner courtyard andshaft.
  - The construction of basement will be done only after evaluation of the structure. The neighbouring property should be 2m away from the property where basement has to beconstructed.

For different type of buildings, the construction of basement is described as below:

S No.	Land area (in Sqm)	Type of Land-use	Provision for Basement
1	Upto 100	1. Residential/other non -commercial	Not Permissible
		2. Officialand commercial	50 percent ground coverage is permissible
2	100 to 2000	1. Residential	20 percent ground coverage is permissible
		2. Non - Residential	Same as permissible ground coverage
3.	Above 2000	1. Group Housing/ Commercial and other multi storey buildings	Double basement are allowed in 4000 Sqm. areaof landandforlandmorethan 4000 Sqm. area 3 basement are allowed
		2. Industry	Same as ground coverage and 50 percent of the basement will be counted in F.A.R.

- **Parking Facility:**

1. The provision of parking in residential site area is asbelow:

Construction area of residential unit (sqm)	Car Parking for each residential unit
Upto 100 Sqm.	1.00
100-150 Sqm.	1.25
Above 150 Sqm.	1.50

2. Circulation area required for common carparking.

I. Parking in open area – 23sqm.
II. Covered parking – 28 sqm.
III. Parking in basement – 32 sqm.

- **Ground coverage and FAR for other Land-use:**

Sno.	Land Use	Ground Coverage in %	FAR
1.	**Plotted residential**		
A	For Developed Area		
	• Upto 100Sqm	75	2.00
	• 101-300 Sqm	65	1.75
	• 301-500 Sqm	55	1.50
	• 501-2000 Sqm	45	1.25
B	New /Undeveloped area		
	• Upto 100Sqm	65	2.00
	• 101-300 Sqm	60	1.75
	• 301-500 Sqm	55	1.50
	• 501-2000 Sqm	45	1.25
2.	**Commercial**		
A	For Developed Area		
	• ConvenientShop	60	2.00
	• Neighbourhoodshop	40	1.75
	• Shopping street	40	1.50
	• District shopping centre/ Sub Central BusinessDistrict	40	1.25
	Central Business District	50	1.50
		40	1.75
		30	2.00
B	New / undeveloped Area		
	• Convenientshop	50	1.50
	• Neighbourhood/ Sector shoppingcentre	40	1.75
	• District shopping centre/ Sub Central businessdistrict	35	2.00

	Central Business District	30	5.00
3.	**Official**		
i.	Constructed Area	40	1.50
ii.	Developed Area	30	2.00
iii.	New/Underdeveloped area		
	• Government &Semi government	35	2.00
	• Professional /Commercial office	30	2.50
4.	**Educational**		
A	Constructed / Developing area		
	• Primary or Nurseryschool	35	0.8
	• High school / Intermediate / Higherinstitutes	30	1.00
B	New / Undeveloped area		
	• Nurseryschool	40	0.8
	• Primary	35	1.00
	• High school / Intermediate	35	1.20
	• Degreecollege	35	1.50
	• Technical /Management institute	35	2.00
5.	**Community and Institutional facilities**		
A.	Constructed / Developed area	35	1.50
B.	New / Underdeveloped area		
	• Community hall, marriage hall & Religiousbuilding	40	1.50
	• Other Institutes	30	2.00
6.	**Hotel**		
A.	Constructed / Developed area		
	• Till 3 star	40	1.20
	• 5 star and above	30	2.00
B.	New / Underdeveloped area		
	• Till 3 star	40	1.50
	• 5 star and above	30	2.50
7.	**Hospital**		
A.	Constructed / Developed area		
	Clinic/ Dispensary	35	1.5
	50 bedded Nursing home	35	1.5
	50-100 bedded Hospital	35	1.5
	100 & more bedded hospital	30	2.5
8.	**Open area**		
A.	Constructed / Developed area	2.5	0.025
B.	New / underdeveloped area	2.5	0.025

2. Heritage bye laws/regulations/guidelines if any available with local Bodies.

As it has already been defined under chapter-3 in section 3.1.9, sub section (I) & (II), **Uttar Pradesh municipal planning and development (UPMPD) act-1973** which is amended as **Development authority building construction and development sub method-(DABCDSM) 2016**, that no permission will be given to any type of construction in Prohibited Area of ASI declared heritage or monument. Apart from this in Regulated Area the permission will be granted by ASI as per the rules of The Ancient Monument and Archaeological Sites and Remain Act – 1958 (Amended and Validated in2010)

Heritage Bye-Laws according to Uttar Pradesh municipal planning and development act-1973 applicable for other protected Monument other than ASI.
For constructing Building in architectural controlled areas along the main roads or near the historical buildings approval from the architectural departments is required.

- No construction will be allowed under the distance of 50 meters fromthe premises of the monument/Heritage building.
- Only one storey residential buildings (maximum height 3.8 meters) is allowed between the distances of 50 meters to 150 meters from the premises of themonument.
- Maximum permissible height of 7.6 meters is allowed in the middle of the distance of 150 meters to 250 meters from the monument premises.
- The relevant provisions of the Government of India will be applicable on ASI protected sites/monuments while the above mentioned provision will be applicable on other protected monuments (which are not protected by ASI)

3. Open spaces.

Open space area standard mentioned as per Uttar Pradesh Development Plan-2008 and 2011

1. Residential land-use: 15 percent of layout plan is left as open space as Tot- Lot, park and playground.
2. Non-Residential land-use: 10 percent of layout plan is left as open space as Tot-Lot, park and playground.
3. Landscape Plan:
   a. The trees will be planted at distance of 10m on one side along the road when the road width is 9m or less than12m.
   b. The trees will be planted on both side along the road when road width is more than12m.
   c. The area of the road left after divider, footpath etc. will be used to plant trees.
4. In commercial planning the 20 percent of open space will be reserved for greenery and50 trees will be planted perhectare.

5. In the areas like institutional area, public amenities, playground, 20 percent of open area is reserved for greenery where 25 trees are planted perhectare

Notes: - All the above clauses are mentioned in (Uttar Pradesh Development Authority Building Construction and Development sub method-2008) under the Uttar Pradesh Municipal planning and Development Act -1973

4. **Mobility with the Prohibited and Regulated Area – Road Surfacing Pedestrian Ways, non – motorised Transport, etc.**

Lucknow known as Heritage city, in which maximum number of monuments comes in dense city area. The road network and public transportation system has not kept pace. There has been a traumatic rise in vehicle. There is heavy congestion in the existing network, resulting in severe parking problem in Prohibited and Regulated Area of the heritage monument.

Mobility is catered in public by personalized modes i.e. 2 wheelers, 3 wheelers, bicycles, tempos, car, jeep, Auto, rickshaw, 8-seaters tempos, 4-seaters (Small) tempos, van etc. and public transport includes Lucknow Municipal corporation (LMC) buses which runs under the name of Lucknow Mahanagar Parivartan Sewa and another buses run by Uttar Pradesh State road transport corporation (UPSRTC).

5. **Streetscapes, facades and new construction.**

Streetscapes and Facades:-

There are no specific bye-laws and guidelines available for the streetscapes and facades within the Prohibited and Regulated Area. Although the general guidelines for new construction in accordance with Lucknow Master Plan 2021-31 are:

New Construction

- Basic amenities such as water supply, Maharaja Tikait drainage, sewage, power supply, open spaces and traffic, parking, etc. present in major land-use plan should not be adversely affected by the new construction.
- Maximum FAR and the height will be as mentioned in land-useplan.
- The booking office, guide office, office related to tourism, shops, restaurants, photographer, Maharaja Tikait Rail / air / taxi, etc, as well as other necessary functions such as temporary fair / exhibition site, etc. will be provided by the competent authority under the effective buildingduties.
- It is necessary to propose security zone in Lucknow Master Plan keeping in mind the sensitive areas.

Provision for differently abled people –

- A corridor should connect the entrance / exit doors for the differently abled people and with the place, where information about the building isdisplayed.
- In order to guide the persons with weak eyes, a phonetic arrangement should be made on the floor, or a machine can be used to give soundsignals.
- The minimum width of the corridor should be1.5m.
- In the case of different level construction, slopes labs as ramps will be provided with ratio1:12.
- Maharaja Tikait Railing will be imposed on slopes / slope routes/ramps.

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE –IV

झांसी का किला, झांसी, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना
SURVEY PLAN OFJHANSI FORT AT JHANSI, JHANSI, U.P.

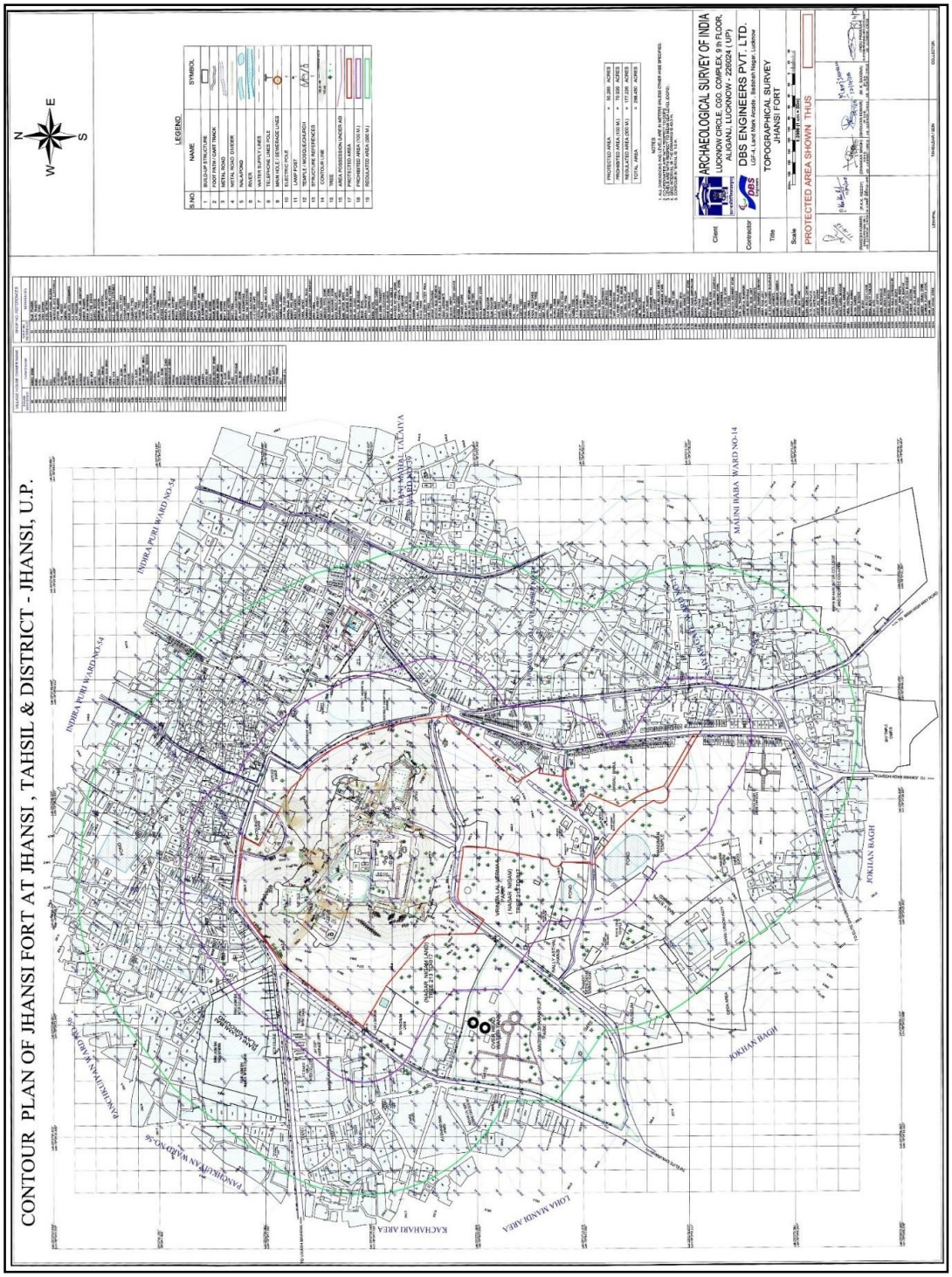

अनुलग्नक-V
ANNEXURE –V

स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई विकास योजना
DEVELOPMENTAL PLAN AS AVAILABLE BY THE LOCAL AUTHORITIES

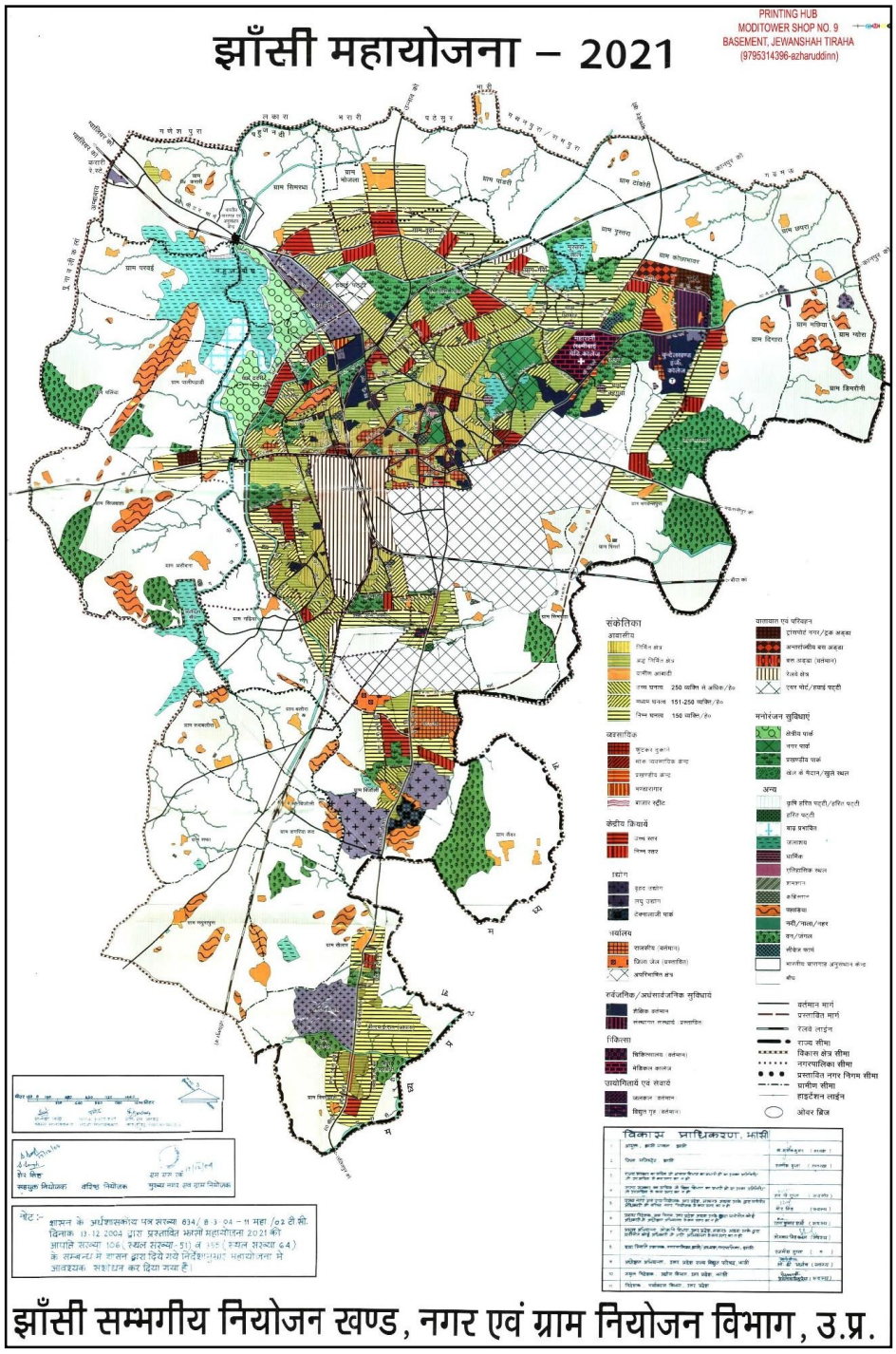

अनुलग्नक-VI
ANNEXURE-VI

संस्मारक और इसके निकटवर्ती क्षेत्र के चित्र
PICTURES OF THE MONUMENT AND ITS SURROUNDINGS

चित्र 1, झांसी के किले का दृश्य
Figure 1, The view of Jhansi Fort

चित्र 2,झांसी के किले के बुर्ज का दृश्य
Figure 2, The view of bastion of the Jhansi fort

चित्र 3, झांसी के किले की वास्तुकला को दर्शाता दृश्य
Figure 3, View showing architecture of Jhansi Fort

चित्र 4, झांसी के किले की वास्तुकला को दर्शाता दृश्य
Figure 4, View showing architecture of Jhansi Fort

चित्र 5, झांसी के किले की वास्तुकला को दर्शाता दृश्य
Figure 5 View showing architecture of Jhansi Fort

चित्र 6, झांसी के किले की वास्तुकला को दर्शाता दृश्य
Figure 6,View showing architecture of Jhansi Fort

चित्र 7, झांसी के किले की वास्तुकला को दर्शाता दृश्य
Figure 7,View showing architecture of Jhansi Fort

चित्र 8, झांसी के किले की वास्तुकला को दर्शाता दृश्य
Figure 8, View showing architecture of Jhansi Fort

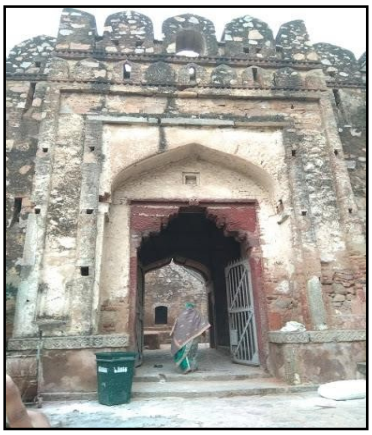

चित्र 9, गणेशजी के मंदिर का दृश्य
Figure 9, View of the Ganesh temple

चित्र 10, झांसी के किले का एक हिस्सा
Figure 10, A part of Jhansifort

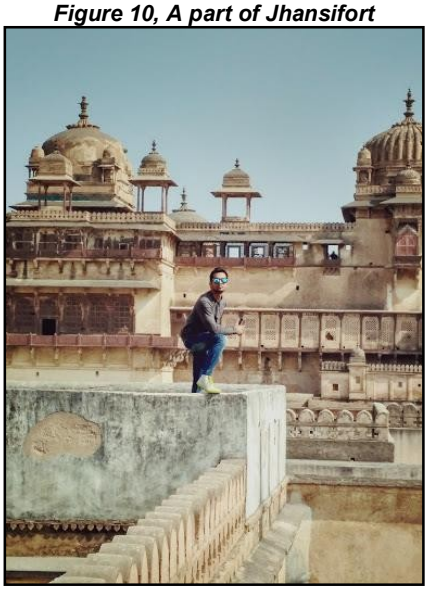

चित्र 11, रानी महल
Figure 11, The Rani Mahal

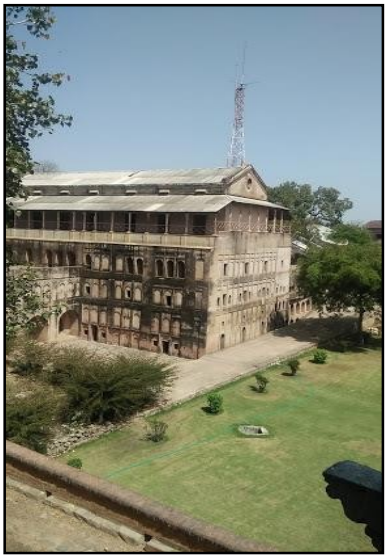

चित्र 12, सर्वमंगला परिसर इलाहबाद बैंक की शहर शाखा का दृश्य
Figure 12, View of Sarvmangla Complex Allahabad Bank City Branch

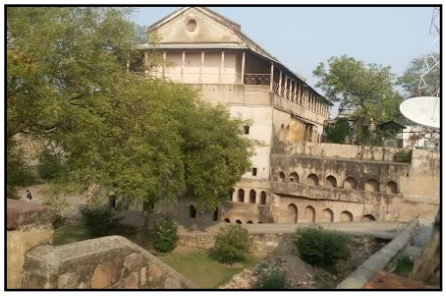

चित्र 13,आसपास की कृषि भूमि का दृश्य
Figure 13, View of surrounding agriculture land

चित्र 14, मैथिली शरण गुप्त पार्क
Figure 14, Maithali Sharan Gupt Park